



फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }
Form III {see Regulation 7(1) D (d)}

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस
LICENCE FOR THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं.- ओएचएससी /एल- 5000043.3

Licence NO. **OHSC/L- 5000043.3**

1 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986(1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो मेसर्स यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, पोस्ट - जदुगुडा माइंस, जिला - पूर्वी सिंघभूम, झारखंड पिन - 832102 को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमोंके संबंध में ब्यूरो के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर(रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, IS 18001 :2007 के अनुरूप व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पत्तों)पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby renews to *M/S. Uranium Corporation of India Limited, Post- Jaduguda Mines, Dist: Singhbhum (East), Jharkhand Pin- 832102* hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of **Occupational Health & Safety Management Systems Certification** in respect of the products or processes Particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products shall be manufactured by the Licensee at only the address (es) given above, and under the **Occupational Health & Safety Management Systems Certification** in accordance with *IS 18001:2007*.

यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 25 जनवरी 2015 से 24 जनवरी 2018 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from *25 January 2015 to 24 January 2018* and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2015 के जून माह के 3rd दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित
Signed, Sealed and Dated this *3rd* day of *June*, Two Thousand and Fifteen.


उप महानिदेशक
Deputy Director General
भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS



Annexure I

लाइसेंस सं. ओएचएससी/एल-**5000043.3** की अनुसूची
Schedule to licence No. **OHSC/L-5000043.3**

जारी : मेसर्स यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि, पोस्ट- जदुगुडा माइंस, जिला- पूर्वी सिंगभूम, झारखंड पिन- 832102

Issued to : *M/S. Uranium Corporation of India Limited, Post- Jaduguda Mines,
Dist: Singhbhum (East), Jharkhand Pin- 832102*

अनुसूची SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को *व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन* लाइसेंस स्वीकृत किया गया है

Products/processes with respect to which the firm has been **granted** the licence for Occupational Health & Management Systems Certification:

"All activities carried out at Jaduguda, Narwapahar, Bhatin, Bagjata, Mohuldih, Banduhurang, Turamdih for mining of Uranium ore and processing of Uranium ore, production and supply of Uranium peroxide & Magnetite from jaduguda plant and Magnesium Di-Uranate from Turamdih plant."


उप महानिदेशक
Deputy Director General
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS